प्रकीर्ण संख्या- 77/2021 (MACP-525/2017)
श्रीमती मीना वर्मा एवं अन्य बनाम अशोक कुमार मिश्रा एवं अन्य

<u>दिनाँकः03.08.2021</u>

आज यह प्रकीर्ण पत्रावली प्रस्तुत हुई। आवेदिका कु. प्रियंका मय अधिवक्ता उपस्थित है।

आवेदिका की ओर से प्रार्थना पत्र 3B इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त याचिका न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 11.4.19 के अनुसार ₹5,23,600 प्रतिकर हेतु स्वीकार की गयी थी जिसमें से याची संख्या-दो आवेदिका को ₹1,00,000 दिलाया गया जिसमें से ₹50,000 नकद एवं ₹50,000 की एक FDR सिण्डीकेट बैंक में बनवायी गयी थी। आवेदिका के परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है। आवेदिका का विवाह दिनांक 26.04.21 को होना तय हुआ है जिस कारण आवेदिका को पैसे की सख्त आवश्यकता है। अतः आवेदिका के नाम से बनवाई गयी उक्त FDR का भुगतान कराये जाने की कृपा की जाये।

आवेदिका की ओर से अपने उक्त आवेदन के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र, FDR, आधार कार्ड, विवाह निमंत्रण कार्ड आदि की प्रतियाँ दाखिल की गयीं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों की पुष्टि आवेदिका के शपथ पत्र, विवाह कार्ड से होती है। विवाह हो चुका है। यह तर्क रखा गया है कि विवाह के खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ा है। ऐसी स्थिति में आवेदिका का उक्त आवेदन पत्र आधी धनराशि हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र 3B स्वीकार किया जाता है। शाखा प्रबन्धक सिण्डीकेट बैंक अब कैनरा बैंक, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि **MACP-525/2017** के प्रकरण में आवेदिका/याची संख्या- दो प्रियंका के नाम से बनवाई गयी FDR खाता संख्या- 92354050008699/1 की धनराशि में से 50% राशि परिपक्वता अवधि के पूर्व आवेदिका को नकद भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें तथा अवशेष राशि 50% की एक FDR पुनः तीन वर्ष की अवधि के लिए बनवाई जाये। तदनुसार अवगत हों।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.08.05 17:33:17 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI